लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

हिंदी त्रैमासिक ई-पत्रिका लेखापरीक्षा ज्ञानोदय

आठवां संस्करण

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

सी-25, ऑडिट भवन, 8वाँ तल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स

बांद्रा(पूर्व), मुंबई - 400 051

फैक्स-02226573814 **ई-मेल** pdcamumbai@cag.gov.in

लेखापरीक्षा ज्ञानोदय परिवार

मुख्य संरक्षक

श्री सी एम साने

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

संरक्षक

श्री अविनाश जाधव - निदेशक

संपादक-मंडल

श्रीमती स्वप्ना फुलपाडिया	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
श्रीमती मीना देशप्रभु	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
श्रीमती विद्या मुरलीधरन	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
श्रीमती कल्पना असगेकर	**पर्यवेक्षक**
श्री आनंद कुमार सिंह	**कनिष्ठ अनुवादक**

(रचनाओं की मौलिकता एवं विचार से संबंधित पूर्ण उत्तरदायित्व रचनाकारों का है- संपादक-मंडल)

अनुक्रमणिका

संदेश	श्री सी एम साने, महानिदेशक
संदेश	श्री अविनाश जाधव, निदेशक
संदेश	श्री अनुपम जाखड़, उपनिदेशक
संपादकीय	श्री आनंद कुमार सिंह
ऑडिट-एक कहानी	श्रीमती स्वप्ना फुलपाड़िया
अनमोल आँखें	श्री सरोज प्रजापति
पानी के तीन गुण और जीवन से संबंधित संदेश	
भारतीय समाज में हिंदी	श्री आनंद कुमार सिंह
हाय रे थर्टी फर्स्ट	श्री इमरान खाटीक
उच्च शिक्षित गुड़िया की रुकी हुई शादी	श्री शरद धनगर
चंद्रयान	श्री हरीश कुमार
महिला सशक्तिकरण	
रंगों का त्योहार : होली	
शहीद भगत सिंह	
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का संघ सरकार (वाणिज्यिक) की 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां- 2021 की रिपोर्ट संख्या - 14	
राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान	
राजभाषा हिंदी के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य	

संदेश

यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि कार्यालय द्वारा त्रैमासिक हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के प्रकाशन की कड़ी में पत्रिका के आठवें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका का प्रकाशन राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने के कार्य में अपना योगदान देने हेतु समर्पित है।

हिंदी हमारी राजभाषा है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारा यह दायित्व है कि हम कार्यालयी कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग पूर्ण निष्ठा के साथ करें। हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी शामिल करके इसके प्रयोग को सरल बनाने हेतु प्रयास करते रहना चाहिए। हिंदी को एक उचित वातावरण प्रदान करते हुए प्रयोग के प्रति रुचि जागृत करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

पत्रिका के आठवें अंक को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद। रचनाकारों से प्राप्त रचनाओं को पत्रिका में शामिल करते हुए सुंदर प्रस्तुतीकरण हेतु संपादक मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

आशा करता हूँ कि हम सभी राजभाषा हिंदी के विकास हेतु अपना यथासंभव योगदान देते हुए इसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे।

(सी एम साने)

महानिदेशक

कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संदेश

यह सुखद अनुभूति है कि कार्यालय की त्रैमासिक हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के सात अंकों के सफल प्रकाशन के पश्चात कार्यालय द्वारा आठवें का प्रकाशन किया जा रहा है। राजभाषा हिंदी के विकास हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन एक सराहनीय प्रयास है। कार्यालयी पत्रिका कार्यालय में कार्य कर रहे अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपनी रचनात्मक क्षमता को विकसित करने हेतु एक उचित मंच प्रदान करता है। कार्यालयी पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक रोचक माध्यम है।

कार्यालयी कार्य राजभाषा हिंदी में करते हुए इसके प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए अपना यथासंभव प्रयास करना चाहिए। राजभाषा के विकास हेतु कार्यालय में एक वातावरण विकसित करते हुए राजभाषा से संबंधित गतिविधियों का आयोजिन किया जाना चाहिए। हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन एक उचित एवं सार्थक प्रयास है। कार्यालय द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने तथा राजभाषा संबंधी अधिनियम एवं नियमों से अवगत कराने हेतु प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता हैं तथा कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु कार्मिकों का नामांकन किया जाता है। राजभाषा में कार्य करने हेतु सरलता प्रदान कराने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा कई इलेक्ट्रॉनिक टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के प्रयोग करने से हिंदी में कार्य करना आसान हुआ है।

पत्रिका के आठवें अंक में सम्मिलित करने हेतु रचना प्रस्तुत करने वाले समस्त रचनाकारों को धन्यवाद तथा संपादकीय मंडल को हार्दिक शुभकामनाएं।

मै यह आशा करता हूँ कि पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" का आठवाँ अंक आप सभी के लिए रुचिकर एवं ज्ञानप्रद होगा तथा राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करेगा।

(अविनाश जाधव)
निदेशक
कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कार्यालय द्वारा हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" के आठवें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका प्रकाशन राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में एक उपयोगी माध्यम होता है। पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए कार्यालयी कार्यों में हिंदी के प्रयोग हेतु प्रेरित करती है। पत्रिका कार्यालय के कार्मिकों की हिंदी के विकास के प्रति सहयोग को प्रदर्शित करती है।

कार्यालय का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आशा करता हूँ कि भविष्य में यह जारी रहेगा ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु संपादकीय मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(अनुपम जाखड़)

उपनिदेशक

उपनिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, देहरादून

उप-कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, मुंबई

संपादकीय

राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु प्रयास के क्रम में त्रैमासिक हिंदी ई-पत्रिका "लेखापरीक्षा ज्ञानोदय" का आठवां संस्करण आप सभी को सादर समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से प्राप्त रचनाओं को पत्रिका में सम्मिलित करके यथासंभव सुंदर रूप में प्रस्तुत करने हेतु प्रयास किया गया है। पत्रिका का यह अंक विभिन्न भावों को अपने अंदर समेटे हुए आपके समक्ष प्रस्तुत है। अलग-अलग विधाओं में भिन्न-भिन्न विषयों पर आधारित रचनाएं पत्रिका में सम्मिलित की गई हैं जिनके माध्यम से इसे रुचिकर बनाने हेतु यथासंभव प्रयास किया गया है।

हिंदी एक विशाल जन-मानस को जोड़ने वाली भाषा है। आज हिंदी का प्रयोग वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है तथा इसके प्रयोग को बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राजभाषा हिंदी के विकास हेतु कई कदम उठाए गए है। राजभाषा विभाग द्वारा भी हिंदी को लोकप्रिय, सरल तथा सहज बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से हिंदी का प्रयोग और भी सरल हो गया। भाषा सीखने तथा अनुवाद के माध्यम से हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु सुविधाएं उपलब्ध है। हिंदी टंकण के लिए नए टूल्स विकसित किए गए हैं जिनके माध्यम से हिंदी का टंकण आसान हुआ है। आज के समय में बोलकर टंकण की सुविधा भी उपलब्ध है। राजभाषा विभाग द्वारा इस प्रौद्योगिकी के समय में हिंदी में कार्य करने हेतु अनेक संसाधन उपलब्ध जिसकी सहायता से हिंदी में कार्य किया जा सकता है। हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू हैं जो हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं।

पत्रिका के सफल प्रकाशन में सहयोग करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि हमें आगामी अंकों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पत्रिका को पढ़ने के पश्चात अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएं।

आनंद कुमार सिंह

कनिष्ठ अनुवादक

श्रीमती स्वप्ना फुलपाड़िया
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ऑडिट-एक कहानी

एक अच्छी तरह से आयोजित ऑडिट एक कहानी की तरह सामने आना चाहिए। यह चल रहे आख्यान को प्रस्तुत करता है कि संगठन कैसे समझता है कि क्या आवश्यक है, गतिविधियों की योजना बनाता है, खिलाड़ियों और उनकी भूमिकाओं की पहचान करता है, वांछित परिणाम उत्पन्न करता है और इसे फिर से करने के लिए परिणाम की समीक्षा करता है। जिस तरह से पात्र बदल सकते हैं और कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अधिक चतुर तरीका खोजता है; समस्याएँ उत्पन्न होने पर कथानक में कुछ अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं। परिवहन के अधिक वांछनीय साधन के पक्ष में अंतिम लक्ष्य का मार्ग छोटा या लंबा रीमैप किया जा सकता है या यहां तक कि छोड़ दिया जा सकता है।

प्रक्रिया नियंत्रण, योजना, नवाचार, सुधारात्मक कार्रवाई और निरंतर सुधार सभी एक कार्यशील, प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लक्षण हैं। एक निश्चित परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यह "कैसे" पर प्रतिबिंबित करने योग्य है। एक दिलचस्प आख्यान के दृष्टिकोण से एक ऑडिट के बारे में सोचने से ऑडिट प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले दर्शक दूर हो जाते हैं।

लेखापरीक्षक की भूमिका अंतिम उत्पाद का आकलन करने के लिए नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक अनुरूप उत्पाद में परिणामित प्रक्रियाएं और प्रणाली अच्छी तरह से नियंत्रित, उपयुक्त और प्रभावी हैं। समय के साथ चीजें बदलती हैं। विफलताएं और चूक परिवर्तन को प्रबंधित करने की संगठन की क्षमता को खतरे में डालती हैं। कुछ साल पहले जो उपयुक्त था वह अब पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि यह दोहराव-क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सकता है या पता लगाने की क्षमता या अन्य नई और बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति की अनुमति नहीं देता है। अभ्यास जो चपलता, रचनात्मकता और प्रतिक्रियात्मकता को बढ़ावा देते हैं, उभरती जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को सुविधाजनक बनाते हैं।

लेखापरीक्षक को वास्तव में उस तरीके में दिलचस्पी होनी चाहिए जिसमें लेखापरीक्षितियों ने एक अंतरराष्ट्रीय मानक की आवश्यकताओं को लागू किया है। तब लेखापरीक्षकों को यह प्रदर्शित

करने के लिए अधिक इच्छुक होना चाहिए कि कैसे उन आवश्यकताओं का उनका अनुप्रयोग उनके संगठनों को उनके प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। उन्हें लेखापरीक्षक को यह दिखाने को मिलता है कि वे केवल एक मानक के अनुरूप नहीं हैं, वे इसका उपयोग सफल होने के लिए करते हैं।

ये आख्यान भले ही किंवदंती का सामान न हों, लेकिन ये हमारी लेखापरीक्षा की कहानियां हैं और आर्थिक समय तथा औसत संगठन पर असंख्य बाधाओं को देखते हुए, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी कहानी है।

****

श्री सरोज प्रजापति
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

अनमोल आँखें

आँखे हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण एवम् नाजुक अंग हैं। आधुनिक दिनचर्या में हम आँखों का उपयोग कम से कम 15 से 18 घंटे प्रतिदिन करते हैं। उसमें भी 2 से 3 घंटे टेलीविजन के साथ चिपके रहते हैं। उसके अलावा धूप, धूल, धूंआँ, अत्यधिक रोशनी, गलत ढंग से पढ़ाई इत्यादि से आँखों को काफी नुकसान पहुँचता हैं। फिर भी आँखों की रक्षा के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। आँखों के लिए आराम अत्यंत आवश्यक है। आँखों का अतिशय उपयोग और पर्याप्त आराम का अभाव ही नजर की खामियों का एक अहम् कारण है। आँखों को आराम कैसे दिया जाए यह बहुत कम लोग ही जानते हैं।

आँखों को आराम देने की कुछ प्रभावशाली एवं आसान पद्धतियाँ नीचे दी जा रही हैं:

1. पलकें झपकाना (BLINKING):- पलकों का झपकना आँखों को आराम देने का कुदरती तरीका हैं। इसलिए जितना हो सके पलकों को झपकाएँ एवं किसी चीज को एकटक न देखें।

2. पामिंग (PALMING):- पामिंग आँखों को आराम देने का बहुत ही आसान तरीका है। किसी आरामदायक जगह पर बैठ जाइए। अपनी दोनों हथेलियों से दोनों आँखों को बंद अवस्था में ढँकिए, ताकि प्रकाश की एक भी किरण आँखों में प्रविष्ट न हो पाए। गहरे साँस लीजिए एवं किसी आनंददायक घटना का स्मरण कीजिए। मगर ध्यान रहे हथेलियों का दबाव आँखों पर नहीं होना चाहिए।

3. स्मरण (MEMORY):- जब दृष्टि त्रुटिरहित होती है, दिमाग हमेशा विश्राम की अवस्था में रहता है एवं जब याददाश्त पूर्ण होता है तो दिमाग विश्राम की अवस्था में रहता है। अतः स्मरण शक्ति की मदद से दृष्टिदोष को कम किया जा सकता है। अभ्यास के लिए आप एक काले बिन्दु को देखें एवंम् उसको याद करने की कोशिश करें, पहले आँखें बंद करके फिर खोलकर।

4. कल्पना (IMAGINATION):- जिसप्रकार स्मरणशक्ति द्वारा दृष्टि दोष को कम किया जा सकता है, उसी प्रकार कल्पना द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए आप किसी काली

वस्तु को देखें फिर आँखें बंद कर के उसके काले रंग के बारे में सोचें एवं जितना ज्यादा काले रंग की आप कल्पना कर सकते हैं उतना करें।

5. सिंह आसन (सिंह मुद्रा):- मुँह चौड़ा कीजिए, जीभ को यथासंभव अधिक बाहर निकालिए और ऊपर की ओर देखिए। चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कीजिए। दस सेकेण्ड तक चेहरे को इसी स्थिति में रखें। फिर सामान्य अवस्था में आकर जीभ को मुँह में खींच लीजिए, मुँह बंद कीजिए एवं आँखें बंद करके बीस सेकेंण्ड तक उन्हें आराम दीजिए।

6. ठंडे पानी का छिड़काव:- कुछ समय तक आँखें बंद करके आँखों पर ठंडे पानी का छिड़काव करें। पानी छिड़कने के बाद चेहरे को पोंछे नहीं।

तनाव आँखों का सबसे बड़ा शत्रु हैं। अतः ऐसा कोई भी कार्य जो आपको तनावमुक्त करता हो, आँखों के लिए फायदेमंद है। अतः हमेशा तनावमुक्त रहने का प्रयत्न करें।

आँखों के लिए हरी सब्जियाँ एवं बादाम का सेवन फायदेमंद हैं। प्रोटीन, विटामिन “ए” युक्त संतुलित एवं पौष्टिक भोजन का सेवन करें। आप थोड़ा सा जागरूक होकर अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं, क्यों कि “आँखें हैं तो जहान है"।

****

श्री सरोज प्रजापति

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

पानी के तीन गुण और जीवन से संबंधित संदेश

पानी का पहला गुण यह है कि यह हमेशा बहता रहता है एवं शुद्ध रहता है लेकिन किसी कारण से जब रुकता है, तो सड़कर बदबूदार एवं अशुद्ध हो जाता है। इसप्रकार पानी हमें सिखाता है कि इस जिंदगी को पानी की तरह चलाते रहो, चाहे कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आयें परन्तु चलते रहो, इसी में जिंदगी की शुद्धता है।

पानी का दूसरा गुण यह है कि, इसका अपना रंग नहीं होता, लेकिन किसी भी रंग में मिलाने पर उस रंग में पूरा-पूरा मिलकर उसी रंग का हो जाता है। जिसका अर्थ है कि पानी सभी रंगों के साथ घुलमिलकर रहना जानता है, यानि पानी में सभी रंग मौजूद है परंतु अपना कोई रंग नहीं है। यदि हम अपनी जिंदगी को इस पानी की तरह बना लें, तो जिंदगी में कभी दुःखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमे भी इस जिंदगी को पानी की तरह सभी रंगो को अपने में समायोजित करना चाहिए।

पानी का तीसरा गुण यह है कि पानी हर समय चलते हुए रास्ते में कचड़ा ही क्यों न मिले साथ बहाके ले जाता है, फिर भी अपने पीछे शीतलता छोड़ जाता है। हमें पानी से यह सीखना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने साथियों के साथ ऐसी शीतलता को बिखेरें ताकि हमारे जाने के बाद लागों को समाज को शीतलता का एवं शीतल रहने का आभास हो।

****

श्री आनंद कुमार सिंह
कनिष्ठ अनुवादक

भारतीय समाज में हिंदी

प्रत्येक भाषा समाज में ही विकसित होती है और यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक भाषा का अपना समय होता है। इस तथ्य को संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं को ध्यान में रखते हुए अनुभव किया जा सकता है। भाषा प्रयोग समय के साथ बदलता रहता है। समाज में भाषा का विकास कवियों तथा लेखकों के साथ साथ अन्य प्रयोगकर्ताओं पर भी निर्भर है।

वर्तमान में हिंदी का प्रयोग समय के साथ बढ़ रहा है। हिंदी के प्रयोग क्षेत्र में वृद्धि इसके लिए किए जा रहे प्रयास के साथ-साथ इसकी आवश्यकता का परिणाम है। फिर भी हिंदी के रास्ते में बाधा उपस्थित है। हिंदी प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी साथ के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग इस प्रकार समझा जा सकता है कि समाज में इन भाषाओं को अभिव्यक्ति का माध्यम न मानते हुए इन भाषाओं के आधार पर ज्ञान का स्तर मापा जाता है। कई बार अंग्रेजी में अभिव्यक्ति को हिंदी से अच्छा मान लिया जाता है । इस संबंध में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अग्रेजी अन्य भाषाओं के समान अभिव्यक्ति का साधन है और यह आवश्यक नहीं है कि एक बात जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में व्यक्त की जा रही है, अंग्रेजी में अच्छा हो। इसके आतिरिक्त हिंदी की अन्य बोलियों से तुलना भी इसके मार्ग में खड़ी है तथा कहीं कहीं यह माना जाता है कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है। आज के समाज में हिंदी का प्रयोग अवश्य बढ़ा है किन्तु हिंदी अभी भी उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं करने में सफल नहीं हो पाई है।

भाषा वह साधन है जो संस्कृति की संरक्षित कर कर सकती है। हिंदी का समृद्ध एवं संयुक्त परिवार है। इस परिवार में भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों को शामिल किया गया है तथा अभी भी किया जा रहा है। आज के भारतीय समाज में अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को शामिल करते हुए हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। यह वह माध्यम है जो सभी को एक साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है।

भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु प्रयास अभी भी जारी है। राजभाषा हिंदी को उचित रूप से विकसित करने तथा

प्रयोगकर्ताओं की इसमें रुचि जागृत करने के लिए नए नए पहल किए जा रहे है। प्रयासों के फलस्वरूप आज हिंदी अधिकांश भारतीय समाज की प्रचलित भाषा है।

****

"मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परन्तु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं नहीं सह सकता।"

- श्री **विनोबा भावे।**

"हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को सर्वांगसुंदर बनाना हमारा कर्त्तव्य है।" **- डॉ. राजेंद्रप्रसाद।**

"हिंदी हमारे देश और भाषा की प्रभावशाली विरासत है।" - **माखनलाल चतुर्वेदी।**

श्री इमरान खाटीक
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

"हाय रे थर्टी फर्स्ट"

एक दिन जीते हैं ऐसे.....जैसे 364 दिन जीया ना हो।

पीते हैं ऐसे.....जैसे साल भर पिया ना हो।

हाय रे थर्टीफर्स्ट तेरी क्या शान है, नशे में झूमता सारा जहान है।

गरीब भी यहां एक दिन का मेहमान है।

रंक भी देखो राजा समान है ।

हाय रे थर्टीफर्स्ट तेरी क्या शान है।

मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा छोड़ एक दिन के लिए.....

मयखाना ही सब का भगवान है।

हाय रे थर्टीफर्स्ट तेरी क्या शान है।

थर्टीफर्स्ट के लिए कतारों में लगे हैं ,

देखो इन्सान कितने महान है।

हाय रे थर्टीफर्स्ट तेरी क्या शान है।

एक दिन के लिए हम तुम कामकाज सब भूले,

देखो यह जलसा कितना महान है।

हाय रे थर्टी फर्स्ट तेरी क्या शान है।

****

श्री शरद धनगर

लेखापरीक्षक

उच्च शिक्षित गुड़िया की रुकी हुई शादी

वर्तमान विकट सामाजिक स्थिति को दर्शाने वाला विचारोत्तेजक लेख

शहर में रहने वाले एक टिपिकल, मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मी गुड़िया बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी रही। घर में माता-पिता दोनों नौकरी करते और एक बड़ा भाई, जो बी.कॉम कर बैंक में नौकरी करता। गुड़िया पढ़ाई में बहुत अच्छी होने के कारण इंजीनियरिंग की तरफ गई और बी. ई. (कंप्यूटर) की। उसे कैंपस में 7 लाख रुपये का अच्छा पैकेज मिला और उसने 22 साल की उम्र में अपनी नौकरी शुरू कर दी। उसके माता, पिता और भाई की तनख्वाह भी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से अरमान सातवें आसमान पर पहुंच गया था। अब उसके शादी के लिए घर वालों ने रिश्ता शुरू कर दिया।

गुड़िया के परिवार के शर्तों के अनुसार लड़का न्यूक्लियर परिवार का हो, वेल सेटल्ड हो, आईटी या सॉफ्टवेअर इंजीनियर होना चाहिए। रिश्ते के लिए लड़के देखने का कार्य शुरू हुआ। शुरुआत में, एक जगह से माता पिता के शर्तों के अनुसार विवाह के लिए सही जगह से आमंत्रण आया। लड़का अकेला, आईटी इंजीनियर, 10 लाख रुपये का पैकेज, सुंदर और अच्छी तरह से वेल सेटल्ड था। माता-पिता गांव में रहने वाले, गांव में खेती थी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लड़के की उम्र 28 साल और लड़की की उम्र 23 साल थी। उम्र का अंतर 5 साल का था। गुड़िया की माँ को लगा कि उम्र का फासला बहुत लंबा है। उनके अनुसार लड़के और लड़की की उम्र में 2 से 3 साल से ज्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। इस तथ्य से उम्मीदें और बढ़ गईं कि अभी तो लड़के देखना शुरू किया है, आगे इससे भी अच्छे लड़के मिलेंगे, लड़के वालों को 'सॉरी' कहकर रिजेक्ट कर दिया गया। बेटी बी.ई. (इंजीनियरिंग) है, इतनी तनख्वाह है, तो, लड़के को उससे अधिक प्रतिष्ठित और शिक्षित होना चाहिए। गुड़िया की माँ सोचने लगी कि उसके पति की शिक्षा और वेतन उसकी पत्नी की तुलना में अधिक होना चाहिए। लड़का एम.ई, एम.टेक, एम.एस. या पी.एच.डी. अवश्य हुआ होना चाहिए।

ऐसी नई शर्त लागू की गई। अब इस श्रेणी के अधिकांश लड़के उम्र में बड़े, चश्मा पहने वाले और गंजे थे। इस श्रेणी में बैठे योग्य लड़कों को भी कुछ उम्मीदें थीं और उन्हें गुड़िया से

बेहतर लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, इस कारण उन्हें गुड़िया नापसंद थी। इसलिए जिन लड़कों को गुड़िया पसंद थी, वहाँ गुड़िया को वह लड़के पसंद नहीं थे। जहाँ जिन लड़कों को गुड़िया पसंद नहीं थी वहाँ गुड़िया को वह लड़के पसंद थे। इस तरह खेल शुरू हुआ। देखते देखते इस खेल में चार-पांच साल बीत चुके बीत चुके थे। गुड़िया की उम्र बढ़ती जा रही थी। परिवार वालों ने समझौता करते हुए शर्तो में थोड़ी ढील दी। लड़का बी. ई. इंजीनिरिंग रहेगा तो भी चलेगा, ऐसा डिसाइड किया गया। लेकिन पांच-छह साल के जॉब में गुड़िया का पैकेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। गुड़िया को देखने आने वाले लड़कों के पैकेज बहुत कम थे। गुड़िया की माँ की शर्तो में वह लड़के फिक्स बैठ नहीं रहे थे, बिजनेस करने वाले गुड़िया से ज्यादा कमाने वाले लड़के आ रहे थे, लेकिन बिजनेस के वजह से संयुक्त परिवार था। लड़की के संसार में लड़के के माता पिता और बाकि परिवार के लोगों की समस्या ना हो इस कारण से नौकरी करने वाला लड़का ही होना चाहिए, इस कारण के साथ इनकार किया गया।

गुड़िया 29 साल की हो गई और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, गुड़िया के भाई की शादी हुई और गुड़िया को कंपनी ने छह महीने के प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा। अमेरिका से भारत वापिस आने पर ज्यादा वेतन, विदेश जाने की प्रतिबद्धता के कारण उसमे गुरुर आ गया, ननद-भौजाई के साथ पहले से मौजूद प्रेम प्रसंग के कारण, घर में दैनिक झगड़े शुरू हो गए, इसलिए वह फिर से विदेश चली गई। कुछ साल और बीत गए....गुड़िया अब तैंतीस साल की हो गई और परिपक्व/प्रौढ दिखने लगी, अभी भी शादी के लिए लड़के देखना शुरू है लेकिन समस्या यह है कि पैंतीस साल के बहुत से लड़कों के तलाक हो गए।

अब गुड़िया के परिवार वालों ने शर्तों में काफी ढील दी, अब बी.ई के बदले एम.सी.ए. या एम.सी.एम रहेगा भी तो चलेगा, उसकी तनख्वाह कम है तो भी कोई बात नहीं पर... "अभी भी विवाह का संयोग नहीं बन पाया" अब गुड़िया के माता-पिता ने ज्योतियों के पास जाना शुरू कर दिया। बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद, सभी प्रसिद्ध ज्योतिषियों को गुड़िया की पत्रिका दिखाई गई, हर ज्योतिषी द्वारा बताए गए उपाय और शांति की गई। परन्तु "अभी भी विवाह का संयोग नहीं बन पाया"। गुड़िया को अपनी शादी खुद तय करने की आजादी दी गई, लेकिन गुड़िया में प्रेम विवाह करने की हिम्मत नहीं थी। अभी भी गुड़िया के लिए शादी के लिए लड़के तलाश करना जारी है, गुड़िया अब 40 साल की हो गई है। उसका अपना सुंदर घर, कार और बहुत सारा बैंक बैलेंस है। परन्तु केयर करने वाला नजदीक का अपना कोई नहीं है। जीवन वीरान हो गया है। अब गुड़िया के माता-पिता उम्र के अनुसार थक चुके हैं। (बेटी के परिवार में सास ना कहने वाली गुड़िया की माँ की अपनी बहु ही देखभाल कर रही है।) गुड़िया अब अकेली रह गई है।

कौन गलत था.....!

गुड़िया?

गुड़िया के पिता?

गुड़िया की माँ?

उम्मीदों और शर्तों का यह खेल इस समय कई गुड़ियों के जीवन में चल रहा है। खासकर उच्च शिक्षित परिवारों में ऐसी गुड़ियों की संख्या बढ़ रही है सही समय पर सही निर्णय लीजिए।

****

"हिंदी में हम लिखें पढ़ें, हिंदी ही बोलें।" - **पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी।**

"मैं महाराष्ट्री हूँ, परंतु हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना किसी हिंदी भाषी को हो सकता है।" - **माधवराव सप्रे।**

श्री हरीश कुमार
आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक

चंद्रयान

चन्द्रयान 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। हालाँकि इस यान का नाम मात्र चंद्रयान था, किन्तु इसी शृंखला में अगले यान का नाम चन्द्रयान-2 होने से इस अभियान को चंद्रयान-1 कहा जाने लगा। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और यह 30 अक्टूबर 2009 तक सक्रिय रहा। इसने स्वदेश में विकसित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-XL) रॉकेट का उपयोग किया। चंद्रयान 1 कल्पनासैट के नाम से एक भारतीय मौसम संबंधी उपग्रह पर आधारित था। इसे चन्द्रमा तक पहुँचने में 5 दिन लगे पर चन्द्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिनों का समय लग गया।

अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक 8 नवंबर 2008 को चंद्र की कक्षा में प्रवेश किया और उसके छह दिन बाद ही अपना चंद्रमा प्रभाव परीक्षण जारी किया। चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे और पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। इसका कार्यकाल लगभग २ साल का होना था, मगर नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने के कारण इसे उससे पहले बंद कर दिया गया। चन्द्रयान के साथ भारत चाँद को यान भेजने वाला छठा देश बन गया था।

स्थायी रूप से छाया में रहने वाले उत्तर-ध्रुवीय और दक्षिण-ध्रुवीय क्षेत्रों के खनिज एवं रासायनिक इमेजिंग।सतह या उप-सतह चंद्र पानी-बर्फ की तलाश, विशेष रूप से चंद्र ध्रुवों पर। चट्टानों में रसायनों की पहचान।दूरसंवेदन से और दक्षिणी ध्रुव एटकेन क्षेत्र (एसपीएआर) के द्वारा परत की रासायनिक वर्गीकरण, आंतरिक सामग्री की इमेजिंग। चंद्र सतह की ऊंचाई की भिन्नता का मानचित्रण करना।10 केवी से अधिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम और 5 मी (16 फुट) रिज़ॉल्यूशन के साथ चंद्रमा की सतह के अधिकांश स्टेरिओग्राफिक कवरेज का निरीक्षण। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास को समझने में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करना।

चंद्रयान सदी की सबसे महान उपलब्धि:-

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन [इसरो] ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान-1 पर मौजूद भारत के अपने मून इंपैक्ट प्रोब [एमआईपी] ने लगाया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपकरण ने भी चांद पर पानी होने की पुष्टि की है। चंद्रयान-1 ने चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाकर इस सदी की महत्वपूर्ण खोज की है। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं बल्कि खनिज और चंट्टानों की सतह पर मौजूद है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी पूर्व में लगाए गए अनुमानों से कहीं ज्यादा है।

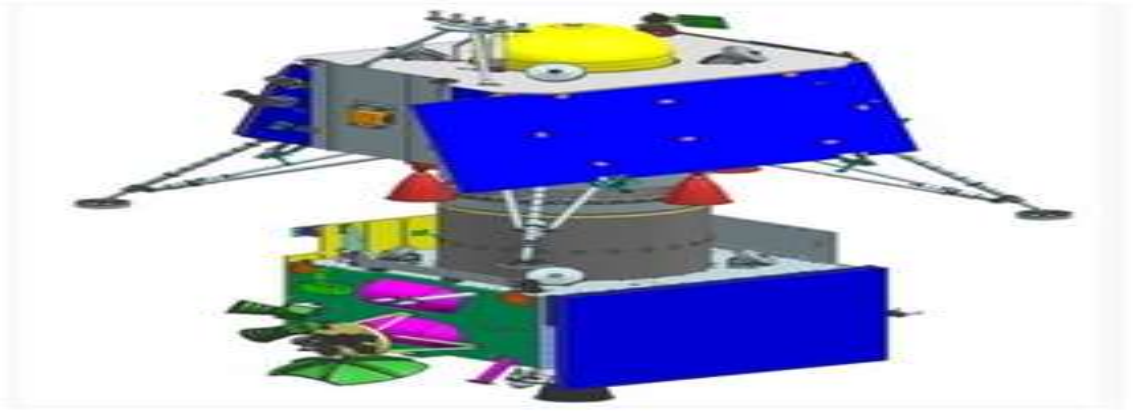

भारत का दूसरा चन्द्र अन्वेषण अभियान है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) ने विकसित किया है। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षयान, एक रोवर एवं एक लैंडर शामिल हैं। इन सब का विकास इसरो द्वारा किया गया है।चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को उसी लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था, जहां से चंद्रयान 1 ने उड़ान भरी थी। पहले इस्तेमाल किए गए पुराने पीएसएलवी रॉकेट का उपयोग करने के बजाय, अंतरिक्ष यान ने उन्नत जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क III (जीएसएलवी एमके III) का

पिछली बार के विपरीत, इसरो ने वजन प्रतिबंध के कारण किसी भी विदेशी पेलोड को ले जाने से मना कर दिया। लेकिन जून 2019 में, यह नासा से एक छोटे से लेजर रिट्रोफ्लेक्टर को ले जाने के लिए सहमत हुआ।

हालाँकि, परिक्रमा 100 किमी की दूरी पर चंद्रमा पर मंडराएगी और निष्क्रिय प्रयोगों का प्रदर्शन करेगी जैसा कि चंद्रयान 1 पर हुआ था। पूरे चंद्रयान 2 मिशन की लागत लगभग $ 141 मिलियन है। यह मार्वल एवेंजर श्रृंखला की हर किस्त से कम है। चंद्रयान 1 के विपरीत, इस बार दांव काफी ऊंचा है क्योंकि अंतरिक्ष यान भी एक चंद्र रोवर, ऑर्बिटर और लैंडर ले जा रहा है।

इसके अलावा, चंद्रयान 2 स्व-निर्मित घटकों और डिजाइन वाहनों का उपयोग करने वाला देश का पहला अवसर है, हालाँकि, लगभग 1:52 बजे IST, लैंडर लैंडिंग से लगभग 2.1 किमी की दूरी पर अपने इच्छित पथ से भटक गया और अंतरिक्ष यान के साथ जमीनी नियंत्रण ने संचार खो दिया। 8 सितंबर

2019 को इसरो द्वारा सूचना दी गई कि ओरबिटर द्वारा लिए गए ऊष्माचित्र से विक्रम लैंडर का पता चल गया है। परंतु अभी विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं हो पाया है।

ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर की मुख्य जानकारी:-

ऑर्बिटर

ऑर्बिटर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चन्द्रमा की परिक्रमा करेगा। इस अभियान में ऑर्बिटर को पांच पेलोड के साथ भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। तीन पेलोड नए हैं, जबकि दो अन्य चंद्रयान-1 ऑर्बिटर पर भेजे जाने वाले पेलोड के उन्नत संस्करण हैं। उड़ान के समय इसका वजन लगभग 1400 किलो था। ऑर्बिटर उच्च रिज़ॉल्यूशन कैमरा (Orbiter High Resolution Camera) लैंडर के ऑर्बिटर से अलग होने पूर्व लैंडिंग साइट के उच्च रिज़ॉल्यूशन तस्वीर देगा। ऑर्बिटर का मिशन जीवन एक वर्ष है और इसे 100 X 100 किमी लंबी चंद्र ध्रुवीय कक्षा में रखा गया है।

लैंडर

चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा गया है। यह एक चंद्र दिन के लिए कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लगभग 14 पृथ्वी दिनों के बराबर है। श्री विक्रम के पास, बैंगलोर के पास बयालू में आईडीएसएन के साथ-साथ ऑर्बिटर और रोवर के साथ संवाद करने की क्षमता है।
परन्तु लैंडर से संपर्क टूट जाने के कारण लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) का कार्य असंभव प्रतीत हो रहा है।

रोवर

रोवर का वजन 27 किग्रा है और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्षमता- 50 W है। चंद्रयान 2 का रोवर प्रज्ञान नाम का 6 पहियों वाला रोबोट वाहन है, जो संस्कृत में 'ज्ञान' का अनुवाद करता है। यह 500 मीटर (½km) तक यात्रा कर सकता है और इसके कामकाज के लिए सौर ऊर्जा का लाभ उठाता है। यह केवल लैंडर के साथ संवाद कर सकता है। रोवर चन्द्रमा की सतह पर पहियों के सहारे चलेगा, मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करेगा, उनका रासायनिक विश्लेषण करेगा और डाटा को ऊपर ऑर्बिटर के पास भेज देगा जहां से इसे पृथ्वी के स्टेशन पर भेज दिया जायेगा।हालाँकि लैंडर से संपर्क न होने के कारण रोवर लैंडर से बाहर नहीं आ पाया है और यदि लैंडर से सम्पर्क नहीं होगा तो रोवर अपना काम नहीं कर पाएगा और चन्द्रमा से जुड़ी अहम् जानकारियाँ हम तक नहीं पहुँचेगी। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर एक Soft लैंडिंग का संचालन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन हैं। पहला भारतीय मिशन, जो घरेलू तकनीक के साथ चंद्र सतह पर एक soft लैंडिंग का प्रयास करेगा। पहला भारतीय मिशन, जो घरेलू तकनीक के साथ चंद्र क्षेत्र का पता लगाने का प्रयास करेगा। 4th देश जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।हालाँकि विक्रम के साथ सम्पर्क टूट जाने के कारण अभी इन सभी विषयों का सफल होना असंभव प्रतीत हो रहा है, परन्तु इसरो और नासा के वैज्ञानिक लगातार विक्रम से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि विक्रम से सम्पर्क हो जाता है

तो यह भारत के लिए एक स्वर्णिम उपलब्धि होगी और यदि विक्रम से सम्पर्क स्थापित नहीं हो पता है तो भी भारत का चंद्रयान 2 मिशन 90 से 95 प्रतिशत सफल माना जाएगा।

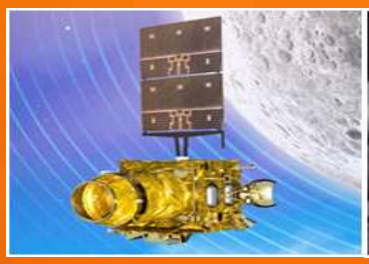

चंद्रयान 2 की वर्तमान स्थित

इसरो द्वारा चंद्रयान-2 को भारतीय समयानुसार 15 जुलाई 2019 की तड़के सुबह 2 बजकर 51 मिनट में प्रक्षेपण करने की योजना थी, जिसको कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से रद्द कर दिया गया था, इसलिए इसका समय बदल कर 22 जुलाई 02:43 अपराह्न कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप इस यान को निर्धारित समय पर सफलता पूर्वक प्रक्षेपित किया गया। दिनांक 07 सितंबर 2019 को रात्रि 02 बजे चंद्रमा के धरातल से 02.1 किमी ऊपर विक्रम लेंडर का इसरो से फिलहाल सम्पर्क टूट गया है। दोबारा से लैन्डर से संपर्क किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (इसरो) के अध्यक्ष के सिवन ने कहा, 'विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से 02.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सामान्य तरीके से नीचे उतरा। इसके बाद लैंडर का धरती से संपर्क टूट गया। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। सितंबर को, इसरो के चेयरपर्सन, डॉ॰ के सिवन ने घोषणा की है कि लैंडर को चंद्रमा की सतह पर ऑर्बिटर के थर्मल छवि की मदद से देखा गया है, और कहा कि ऑर्बिटर एवं अन्य एजेंसी कोशिश कर रही है, लैंडर के साथ साफ्ट संचार स्थापित किया जा सके।

****

हिंदी - हमारी राज भाषा

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को इस योग्य बनाने से है कि वह स्वयं के विचारों को मुक्त रूप से प्रस्तुत करते हुए स्वयं से संबंधित सभी निर्णय ले सकें तथा इनके कार्यान्वयन हेतु अपना पक्ष मजबूती के साथ प्रस्तुत कर सकें । महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं की क्षमता को बिना किसी दबाव के विकसित करने पर प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि:

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।

अर्थ: जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नही होती है, उनका सम्मान नही होता है वहाँ किये गये समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं।

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ।।

अर्थ: जिस कुल में स्त्रियाँ कष्ट भोगती हैं ,वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और जहाँ स्त्रियाँ प्रसन्न रहती है वह कुल सदैव फलता फूलता और समृद्ध रहता है।

भारत में नारी को शक्ति का रूप माना जाता है। नारी को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी आवश्यक है तथा वे संबंधित क्षेत्र में स्वतंत्रता के साथ अपने निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करें । महिला सशक्तिकरण के मार्ग में कुछ बाधाएं हैं। समाज में चल रही कुछ प्रथाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है जिससे समाज की सोच में बदलाव आए और वे पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। नारी को प्रत्येक क्षेत्र में समानता के साथ विकास का अवसर मिलने से महिला सशक्तिकरण का कार्य उचित दिशा में प्रगतिशील होगा। समय के साथ-साथ नारी की क्षमता में बदलाव हो रहा है। स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्तिकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। सशक्तिकरण के संदर्भ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना की जाए तो यह देखा जा सकता है कि शहरों में सशक्तिकरण का प्रभाव है लेकिन गांवों में स्थिति में सुधार के लिए अभी बहुत अधिक प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की आवश्यकता है। समाज में उनकी भागीदारी कम है। इनका बड़ा वर्ग है जिसको सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इनके योगदान से समाज का उचित विकास होगा।

हमारे भिन्न-भिन्न समाज में विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं अपना स्थान बनाए रखे हुए हैं। ये समय के साथ परिवर्तित तो हो रही है लेकिन रूढ़िवादी समाज में उपस्थित मान्यताएं महिला सशक्तिकरण के मार्ग में अभी भी बाधक है। कहीं कहीं तो स्थिति यह है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने में भी असामान्य अनुभव होता है। इसका प्रभाव यह है कि वह पर्याप्त योग्यता होते हुए भी अपने आप को कम आंकने लगती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु संसद द्वारा कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं। वे अधिनियम निम्नलिखित हैं -

(क) दहेज रोक अधिनियम 1961

(ख) एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976

(ग) बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006

(घ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013

भारत सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं । सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं प्रारंभ की किया है। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ चलाई गई है:

1) स्टेप- सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन

2) महिला हेल्पलाइन योजना

3) उज्जवला योजना

4) महिला शक्ति केंद्र

5) पंचायाती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

उक्त योजनाओं का लाभ प्रत्येक महिला तक पहुंचाने हेतु प्रयास जारी है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है तथा इन योजनाओं हेतु जागरूकता लाने के लिए भी प्रयास जारी है किन्तु इन योजनाओं से लाभार्थियों की संख्या में उचित रूप से वृद्धि नहीं हुई है।

समय के साथ स्थितियाँ बदल रही हैं तथा महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रही हैं। वे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भाग लेते हुए अपना योगदान भी देती है। आज बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाओं की भूमिका सराहनीय है तथा कुछ क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी उपयोगिता

एवं क्षमता को प्रदर्शित करते हुए सराहनीय कार्य किए हैं । ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करते हैं । वर्तमान समय में महिलाओं ने सिद्ध किया है कि वे परिवार के साथ-साथ समाज के विकास के भी यहां योगदान दे सकती हैं। वे हर क्षेत्र में पूरे उत्साह के साथ भाग लेती हैं। उन्होंने आज आत्मनिर्भर होने के साथ अपने निर्णय की क्षमता को भी विकसित किया है। आज के समाज में उनके निर्णय तथा उनके परिणाम को सम्मान मिलता है।

वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है किन्तु कुछ विशेष क्षेत्रों में अभी सशक्तिकरण की आवश्यकता है। सामाजिक विकास को देखते हुए यह आशा किया जा सकता है कि शीघ्र महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त होंगी और समाज के विकास में उपयुक्त योगदान देंगी।

****

रंगों का त्योहार : होली

होली के त्योहार का मन में ध्यान आते ही हमारा मन रंग और उल्लास से भर जाता है। होली का त्योहार बसंत ऋतू में मनाया जाने वाला एक बहुत ही हर्षोल्लास वाला त्योहार है। होली का त्योहार आपसी भेदभाव को भुलाकर छोटे बड़े सभी के साथ मिलकर प्रेम के मनाए जाने के लिए जाना जाता है। मनुष्य के साथ-साथ पूरा वातावरण रंगों से पूर्ण होकर हर्षोल्लास में डूब जाता है।

होली त्योहार का हिन्दू धर्म में विशेष महत्व है लेकिन यह सभी के लिए हर्षोल्लास का वातावरण तैयार करता है। इस त्योहार में लोग आपसी गीले-शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग-गुलाल लगाते हैं तथा गले मिलते हैं। यह त्योहार हमारे अंदर समानता की भावना को प्रोत्साहित करता है।

होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन की परंपरा है। इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन हैं । विष्णु पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। दिति के बड़े पुत्र हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से उसक प्राणों को कोई डर रहेगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा पुत्र प्रह्लाद, भगवान विष्णु का उपासक थे और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह विष्णु की पूजा करते रहे। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रह्लाद को लेकर प्रज्ज्वलित अग्नि में चली जाय क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रह्लाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रह्लाद का बाल भी बाँका न हुआ पर होलिका जलकर राख हो गई। इसी वजह से इस दिन को हर साल मनाया जाने लगा। होलिका दहन में सभी लोग घास, लकड़ी और गोबर का ढेर लगाते हैं। शाम के समय इस ढेर में आग लगा दी जाती है। इसके अगले दिन लोग रंग-गुलाल से होली खेलते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पकवान तैयार किए जाते हैं जिसका सभी लोग मिलजुलकर आनंद लेते हैं। होली एक ऐसा त्योहार हम सभी के ह्रदय में एक उत्साह का संचार करता है।

होली के हर्षोल्लास से भरे हुए त्योहार में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ भी हैं। कुछ लोगों के होली मनाने का तरीका सामाजिक वातावरण के लिए विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है। कुछ लोग शराब पीते हैं, जूआ खेलते हैं और घरों में लड़ाई-झगड़ा करते हैं। कुछ लोग सूखे

और हल्के रंगों का प्रयोग करने की जगह पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो त्वचा के लिए हानिकारक होता है।

होली भारत के प्रमुख त्यौहारों में से एक होली के दिन सभी लोगों में एक नई उमंग आ जाती है। हमें होली खेलने के लिए रंगों की जगह पर गुलाल का प्रयोग करना चाहिए जिससे त्वचा को कोई हानि न हो।

****

शहीद भगत सिंह

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद भगत सिंह का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिया। इनका जन्म 27 सितम्बर 1907 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था, इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था। भगत सिंह ने बचपन से ही देश भक्ति देखी थी तथा इनका बचपन स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष को देखेते हुए व्यतीत हुआ। जब भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से स्नातक कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात क्रांतिकारी विचार धारा वाले कुछ छात्रों से हुई जिनके अंदर देशप्रेम भरा हुआ था। कुछ समय पश्चात देशप्रेम में भगत सिंह ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर देश स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने लगे।

प्रारंभ में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा में शामिल हुए और इसमें अपना सहयोग कार्य करने लगे। इसके बाद 1928 में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा बनाई गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। अपने दल के साथ इन्होंने 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आये, साईमन कमीशन का विरोध किया। इसी दौरान लाला लाजपत राय जी ने साईमन कमीशन का व्यापक स्तर पर विरोध किया । "साइमन वापस जाओ" का नारा लगाते हुए विरोध किया जा रहा था। अंग्रेजों द्वारा लाठी चार्ज कर किया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी म्रत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से भगत सिंह का दल बहुत दुखी हुआ। इनके दल द्वारा लाला जी की मौत के लिए ज़िम्मेदार अधिकारी स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सॉण्डर्स को मार डाला.

देशवासियों को जागृत कराने के उद्देश्य से 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में खाली जगह में बम फेंका तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाये। इसके घटना के लिए दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उस समय भारतीय कैदियों के साथ अच्छा व्यव्हार नहीं किया जाता था। कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए भगत सिंह ने जेल के अंदर भी आन्दोलन शुरू कर दिया तथा कई दिनों तक अन्न-जल ग्रहण नहीं किया। जेल में उन्हें बहुत सी यतनाएं सहनी पड़ी। अंत में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता के लिए ये सिपाही देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए अमर हो गए। उनके देशभक्ति आदर्श प्रेरणा स्रोत है।

भगत सिंह के कुछ वचन : 1- यदि बहरों को सुनाना हैं तो आवाज तेज करनी होगी। जब हमने बम फेका था तब हमारा इरादा किसी को जान से मारने का नहीं था। हमने ब्रिटिश सरकार पर बम फेका था। ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना होगा और उसे स्वतंत्र करना होगा।

2- मैं यह मानता हूँ कि मैं महत्वकांक्षी, आशावादी एवं जीवन के प्रति उत्साही हूँ लेकिन आवश्यकता के अनुसार मैं इस सबका परित्याग कर सकता हूँ यही सच्चा त्याग होगा।

3- कोई व्यक्ति तब ही कुछ करता हैं जब वह अपने कार्य के परिणाम को लेकर आश्वस्त होता हैं, जैसे हम असेम्बली में बम फेकने पर थे।

****

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का संघ सरकार (वाणिज्यिक) मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां- 2021 की रिपोर्ट संख्या- 14

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुंबई हाई एसेट एंड बेसिन एंड सैटेलाइट एसेट्स ने निगमित सामग्री प्रबंधन समूह को वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए केसिंग पाइप की अधिप्राप्ति के लिए मांगपत्र भेजे। निगमित सामग्री प्रबंधन ने दोनों वर्षों के मांगपत्रों को इक्टठा कर दिया और एक निविदा जारी की और 176 दिनों के निर्धारित समय के प्रति निविदा को अंतिम रूप देने में 782 दिन से अधिक का समय लिया। खरीद आदेश देने और सामग्री की प्राप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप महंगे (2 से 2.5 गुना) केसिंग पाइपों का उपयोग हुआ जिसके कारण कंपनी ने ₹21.56 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैरा 2.6)

कोलकाता में ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन ने टाइप-I विभागीय रिग (3,050 मीटर तक की ड्रिलिंग गहराई क्षमता) का उपयोग करके ड्रिलिंग गतिविधियों को पूरा किया। बैरकपुर कुएं में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूरा करने के लिए रिग-III को अगरतला से कोलकाता लाने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह कुआं उपलब्ध टाइप-I विभागीय रिग की क्षमता से अधिक गहरा था। इसलिए, टाइप-III रिग को मई 2020 में त्रिपुरा एसेट से निर्मुक्त किया गया और जनवरी 2020 में शुरू किया गया। चूंकि महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन, कोलकाता में तैयार स्थान उपलब्ध नहीं था, रिग 213 दिनों तक बेकार पडी रही। इसके अलावा, त्रिपुरा एसेट में अपना परिचालन जारी रखने के लिए, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक और रिग किराए पर लिया। इस प्रकार अनुचित नियोजन के कारण, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ₹29.69 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैरा 2.7)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का संघ सरकार (वाणिज्यिक) मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां- 2021 की रिपोर्ट संख्या- 14

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) ने ₹21,396 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक परियोजना शुरू की और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के साथ रुपये ऋण करार (जनवरी 2013) पर हस्ताक्षर किए और बाद में (जुलाई 2014) परियोजना की लागत को संशोधित कर के ₹27,011 करोड़ कर दिया। ओपीएएल ने तदनुसार एसबीआई और बैंकों के संघ के साथ एक संशोधन करार पर हस्ताक्षर किए और अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि 30 जून 2015 निर्धारित की और सहमति दी कि समग्र परियोजना लागत को 31 दिसंबर 2015 तक 66:34 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ और उसके बाद 58:42 के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा, जिसके विफल होने पर बैंकों द्वारा 01 जून 2015 से 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया जाएगा। ओपीएएल विस्तारित समय अवधि के भीतर भी आवश्यक इक्विटी भाग को जोड़ नहीं सका और ₹25.81 करोड़ का परिहार्य शास्तिक ब्याज लगाया गया।

(पैरा 2.9)

एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) ने 6 जुलाई 2016 से प्रभावी रोटेबल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मेसर्स बोइंग के साथ एक करार किया, जिसके अनुसार एआईएल बोइंग के सेवायोग्य घटक के साथ एक अनुपयोगी हटाए गए घटक का आदान-प्रदान कर सकता है। मेसर्स बोइंग अदान-प्रदान घटकों के लिए संबंधित मरम्मत, ओवरहाल और संशोधन सेवा प्रदान करता है। करार के अनुसार, एआईएल को 10 कैलेंडर दिनों के भीतर बोइंग के प्राथमिक केंद्र में प्रत्येक हटाए गए घटक को वापस/वितरित करना था, जिसमें विफल होने पर एआईएल विलंब प्रतिफल प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा, यदि घटक 20 दिनों के भीतर सुपुर्द नहीं किया गया, तो एआईएल अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। जुलाई 2016 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान हटाए गए घटक की वापसी में लगातार देरी के कारण एआईएल ने मेसर्स बोइंग को ₹43.85 करोड़ का शास्तिक भुगतान किया।

(पैरा 9.4)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का संघ सरकार (वाणिज्यिक) मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां- 2021 की रिपोर्ट संख्या- 14

एनएचएआई ने राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए वेस्ट गुजरात एक्सप्रेसवे लिमिटेड (डब्ल्यू जीईएल) के साथ एक रियायती करार (मार्च 2005) किया। डब्लूजीईएल को नियत तारीख से 20 साल की रियायत अवधि की अनुमति दी गई थी और रियायत अवधि के दौरान उपयोगकर्ताओं से टोल के संग्रहण की अनुमति दी गई थी। डब्ल्यूजीईएल ने आवधिक रखरखाव को पूरा करने में विलम्ब किया तथा करार के अनुसार ₹21.94 करोड़ की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में उदग्राहय थी। हालांकि, सीवीसी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, एनएचएआई ने फरवरी 2018 की एनएचएआई के 'नीतिगत दिशानिर्देशों/आवधिक रखरखाव और क्षतियों के लिए गणना' के अनुसार क्षतिपूर्ती की गणना पद्धति को संशोधित करके रियायती करार में निर्दिष्ट से कम क्षतिपूर्ति लगाकर रियायतग्राही को ₹10.94 करोड़ का अनुचित लाभ दिया जो करार पर लागू नहीं था।

(पैरा 10.2)

****

आयोजित हिंदी कार्यशाला

श्री टी वाय वर्गीस, वरिष्ठ निजी सचिव 34 वर्षों के सेवा के उपरांत दिनांक 31 मार्च, 2022(अपराह्न) को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त

राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा

परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

2. जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो " या अंग्रेजी में " शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो :

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले"पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले " पंद्रह वर्ष " शब्दों के स्थान पर " चालीस वर्ष " शब्द रख दिए गए हों ।

भाग 17

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा--

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

क. अंग्रेजी भाषा का, या

ख. अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति--

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को--

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं--

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा--

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी: परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध--

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य

द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा--

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक--

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

(ख) i. संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

ii. संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के ,और

iii. इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने,उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया--
इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4-- विशेष निदेश

अनुच्छेद 350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा--
प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं--
प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी--
1.भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे,
राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश--
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी

प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

****

"हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।" - **स्वामी दयानंद।**

"राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिये आवश्यक है।" **- महात्मा गांधी।**

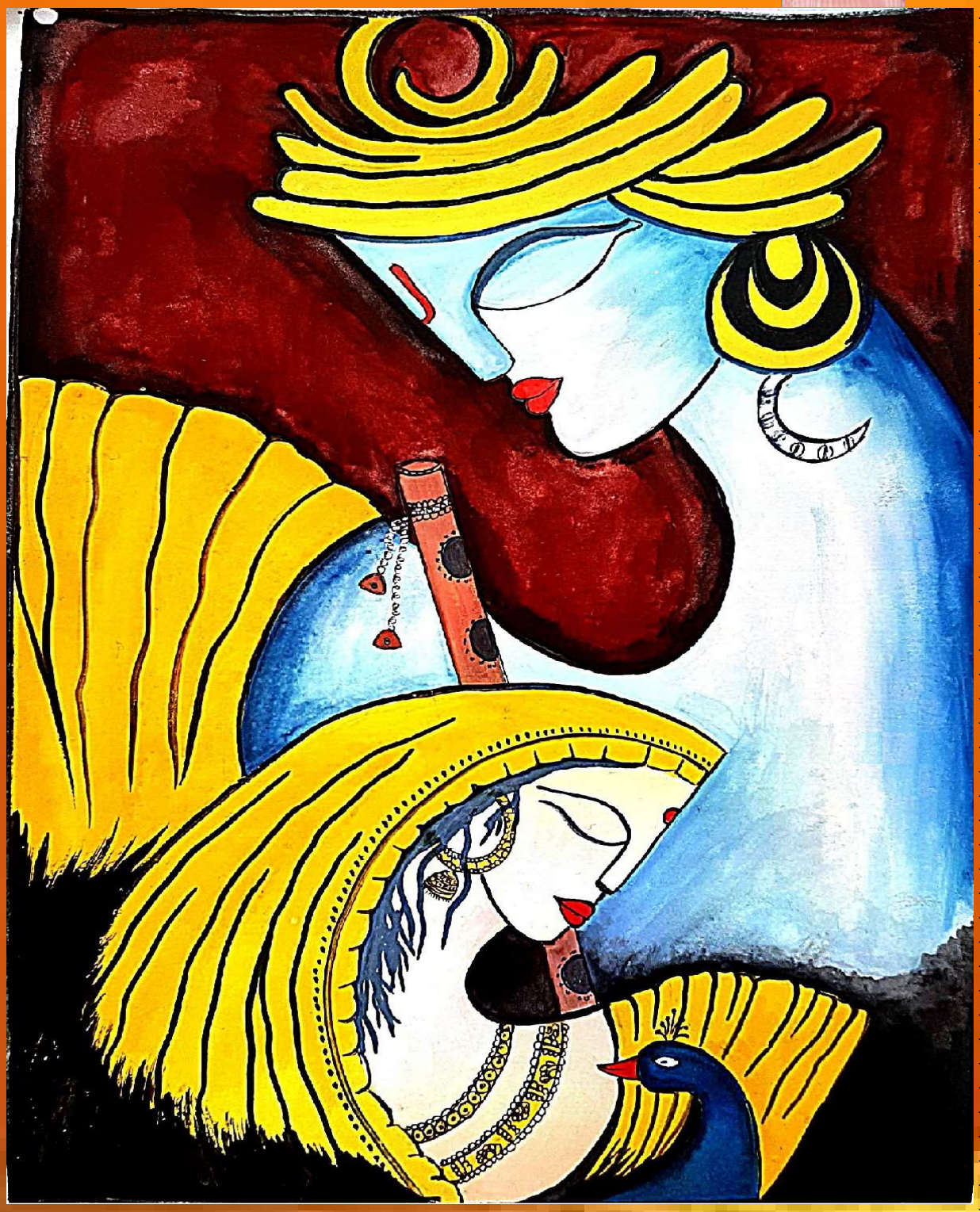

चित्र- सुश्री कंचन कुमारी, पुत्री श्री राजाराम, लेखापरीक्षक

राजभाषा हिंदी के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य

क्र.सं.	कार्य विवरण	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्यसंघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्यसंघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्यसंघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%

13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें		
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	